राजस्थान सरकार

निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर

कमांक : एफ.18(आई–66)आईडब्ल्यूएमपी / निजभूस / 2012 / 4680-4750 दिनांक : 6/8/12

समस्त परियोजना प्रबन्धक,
वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर,
जिला परिषद (श्रीगंगानगर के अतिरिक्त)

विषय :– आई.डब्ल्यू.एम.पी. अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं में निर्माण सामग्री कय करने की प्रकिया बाबत।

प्रसंग :– राज्य सरकार के आदेश कमांक 1212–1759 दिनांक 16.5.12 के संदर्भ में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक कार्यालय आदेश के माध्यम से आई.डब्ल्यू.एम.पी. अन्तर्गत स्वीकृत जलग्रहण परियोजनाओं में निर्माण सामग्री कय करने की प्रकिया निर्धारित करते हुए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये थे।

विभिन्न जिलों द्वारा बार–बार उक्त प्रकिया का अनुपालन नहीं करते हुए ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीण विकास की अन्य योजनाओं में निर्माण सामग्री कय हेतु अनुमोदित निविदा दरों पर ही सामग्री कय करने के प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित किये जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा आई.डब्ल्यू.एम.पी. अन्तर्गत प्रत्येक जलग्रहण परियोजना क्षेत्र में सम्मिलित विभिन्न ग्राम पंचायतों हेतु ग्राम पंचायतवार निविदाएं आमंत्रित नहीं करते हुए पी.आई.ए. स्तर पर एक ही निविदा आमंत्रित कर सामग्री कय करने की प्रकिया अनुमोदित की गई है, ताकि सम्पूर्ण परियोजना क्षेत्र में समान दर पर सामग्री कय की जा सके।

अतः आई.डब्ल्यू.एम.पी. अन्तर्गत स्वीकृत सम्पूर्ण परियोजना क्षेत्र में समान दर पर सामग्री आपूर्ती प्राप्त करने के परिप्रेक्ष्य में निर्देश दिये जाते है कि राज्य सरकार द्वारा प्रासंगिक आदेश के माध्यम से प्रसारित दिशा निर्देशों की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित की जावें।

निदेशक

कमांक : एफ.18(आई–66)आईडब्ल्यूएमपी / निजभूस / 2012 / 4680-4750 दिनांक : 6/8/12

प्रतिलिपि :

1. अतिरिक्त निदेशक (प्रथम / द्वितीय), निदेशालय, जयपुर।
2. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय, जयपुर।
3. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (श्रीगंगानगर के अतिरिक्त)
4. उपनिदेशक (IWMP-I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII-MIES) P.O.(LR), निदेशालय, जयपुर।
5. समस्त लेखाधिकारी, जिला परिषद (श्रीगंगानगर के अतिरिक्त)
6. ए.सी.पी., निदेशालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र विभागीय वेब साईट पर अपलोड़ करावें।

निदेशक